243

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (मध्य - प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक /07 निगरानी।

1)-महिला केशरबाई पत्नी मोतीसिंह जाट उम्र

2)-महिला अनीताबाई पत्नी प्रदीपसिंहजाट उम्र

3)-भूपेन्द्रसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह जाट उम्र वर्ष

4)-सुरेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र वर्ष

सभी निवासीगण ग्राम झिरन्या, तहसील कराहल जिला श्योपुर (मध्य - प्रदेश)

--- आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन जरिये कलेक्टर, जिला श्योपुरम0प्र0

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 19/2002-03 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.11.

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण भूमिहीन होकर ग्राम झिरन्या, परगना कराहल, जिला श्योपुर के मूल निवासी है तथा एक किलो मीटर दूर स्थित ग्राम भूरवाड़ा, परगना कराहल, जिला श्योपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 113 में से रकबा 9-9 बीघा पर विगत 20 वर्षों से काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है, पूर्व में भूमि उबड़, खाबड़ थी जिसे आवेदकगण ने अपने मेहनत व परिश्रम से काबिल काश्त बनाया तथा मौके पर कब्जा होने के कारण व आवेदकगण के भूमिहीन होने के कारण आवेदकगण के नाम अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कराहल के प्रकरण क्रमांक-9/2000-2001 अ-19 से व्यवस्थापन भूमिस्वामी स्वत्व पर किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 207-दो/2007 जिला- श्योपुर

केशरबाई आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 19/2002-03/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.11.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	